

प्रकरण संख्या:-  
प्रविष्टि दिनांक:-

16सी / 2011  
4-03-2011

हीरालाल पुत्र बट्टी जाति धाकड निवासी ग्राम बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक राज0।

..... प्रार्थी

बनाम

1-सीताराम पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह जिला टोंक

2-आवंटन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी, टोडारायसिंह

.....अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) भू आवण्टन अधिनियम 1970  
विरुद्ध आवंटन आदेश दिनांक 7.12.2010

उपस्थित : (1) श्री जितेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक प्रार्थी  
(2) श्री अशोक कासलीवाल, अभिभाषक अप्रार्थी सं0 1

निर्णय

दिनांक 26-05-2017

1- संक्षेप में प्रार्थना पत्र प्रार्थी का सार इस प्रकार है कि भू-आवण्टन सलाहकार समिति जरिये उपखण्ड अधिकारी टोडारायसिंह ने केम्प बावडी तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 07-12-2010 को अप्रार्थी संख्या 1 सीताराम पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 1763 रकबा 0-15 हे0 वाके ग्राम बालापुरा जाटान का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है जो विधि एवं नियम विरुद्ध होने के कारण निरस्त योग्य है।

2- प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी की जरिये नोटिस तलबी की गई एवं आवण्टन पत्रावली मंगवाई गई।

3- प्रार्थी (आवेदक) द्वारा दस्तावेजात में प्रतिलिपी आदेश आवण्टन 7.12.2010 एवं नकल खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2061 प्रस्तुत की है। अभिभाषक अप्रार्थी ने जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया।

4- बहस उभयपक्ष सुनी गई।

5- विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि आवंटित भूमि पर आवण्टन के दिन प्रतिपक्षी सं01 का कब्जा नहीं था अपितु उक्त ख0नं0 1763 रकबा 0.60 हे. भूमि पर विगत 30-40 वर्षों से कब्जा प्रार्थी व उसके परिवार का चला आ रहा है, उक्त भूमि से आज तक कभी भी प्रार्थी को बेदखल नहीं किया है। आवंटन समिति द्वारा आवंटन से पूर्व कोई प्रोक्लामेशन जारी नहीं किया, गुपचुप तरीके से आवंटन किया



बतिरिक्त बिना कलेक्टर टोंक

आवंटन के समय उस कब्जा नहीं दिया गया, प्रार्थी का उक्त भूमि पर लगातार कब्जा होने से उसे प्रथम वरीयता दी जानी चाहिये थी, आवंटी सदभावी कृषक नहीं है, वह भूमिहीन काश्तकार की श्रेणी में नहीं आता है इस कारण आवंटन की पात्रता नहीं रखता है। आवंटी ने अपने स्वयं तथा परिवार की खातेदारी की भूमि का खुलासा नहीं किया, आवंटन फ़ाड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर कराया गया है, आवंटन नियमों की पालना नहीं किये जाने से आवंटन निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त आवण्टन गलत होने से अप्रार्थी सं01 को किया गया आवण्टन निरस्त फरमाया जावे।

6- विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि आवंटित भूमि अप्रार्थी के कब्जे में है, पूर्व में भी कब्जा काश्त रहा है, गिरदावरी में गश्त है तथा इस जमीन से प्रार्थी का कोई लेना देना है। आवंटन समिति ने प्रोक्लामेशन जारी किया है, मौके की रिपोर्ट प्राप्त की है तथा नियमों के अनुरूप आवंटन किया है, आवंटी भूमिहीन काश्तकार है एवं नियमानुसार आवंटन की पात्रता रखता है। भूमि पर आवंटी का कब्जा है जो बदस्तूर चला आ रहा है। प्रार्थी को भी उसी खसरा नं0 763 में जो पडत भूमि बडा रकबा है भूमि का आवंटन किया गया है। भूमि का अप्रार्थी को सुपुर्दगीनामा भी जारी किया गया है। भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा विधिवत रूप से आवण्टन अप्रार्थी के हक में किया गया है, प्रार्थी गलत रूप से अप्रार्थी की भूमि को हडपना चाहता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी चलने योग्य नहीं है, खारिज फरमाया जावे।

7- हमने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य, मूल आवंटन पत्रावली एवं बहस उभयपक्ष का ध्यानपूर्वक अवलोकन, मनन एवं परिशीलन किया। भू-आवण्टन सलाहकार समिति ने केम्प बावडी तहसील टोडारायसिंह में दिनांक 07-12-2010 को अप्रार्थी संख्या 1 सीताराम पुत्र रामकिशन जाति धाकड निवासी बालापुरा जाटान तहसील टोडारायसिंह को आराजी खसरा नम्बर 1763 रकबा 0-15 हे0 वाके ग्राम बालापुरा जाटान का आवण्टन किये जाने का आदेश पारित किया है। प्रार्थी ने इस आवण्टन को इस आधार पर निरस्त कराना चाहा है कि विवादित भूमि पर विगत 30-40 वर्षों से उक्त भूमि पर प्रार्थी का लगातार कब्जा काश्त चला आ रहा है, आवंटन के दिन प्रतिपक्षी सं0 1 का कब्जा नहीं था, आवंटन गुपचुप तारीके से आवंटन किया गया है, आवंटन फ़ाड एवं मिसरिप्रजेन्टेशन के आधार पर कराया गया है, प्रार्थी का आवेदन आवंटन हेतु नहीं लिया गया, सार्वजनिक प्रोक्लामेशन जारी नहीं किया गया, ये तथ्य प्रार्थी द्वारा सिद्ध नहीं करने असमर्थ रहे हैं। आवण्टन पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रतिपक्षी सं01 के द्वारा विधिवत रूप से भूमि आवण्टन हेतु प्रार्थना पत्र भरकर पेश किये जाने पर ही पटवारी हल्का के द्वारा भी प्रतिपक्षी सं01 की भूमि के बारे में रिपोर्ट की गई है जो बरवक्त आवण्टन भू आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष मौजूद थी। आवण्टन की सिफारिश पटवारी हल्का, गिरदावर एवं तहसीलदार द्वारा की गई है। राजस्व रिकार्ड में भूमि सिवायचक थी और अप्रार्थी को भी इसी भूमि में से आवण्टन दिनांक 07-12-2010 को ही किया गया था। बरवक्त भूमि रिक्त थी, अतः भू आवण्टन सलाहकार समिति द्वारा किया गया आवण्टन विधि अनुसार किया गया है। प्रार्थी बरवक्त आवण्टन मौके पर मौजूद था और यदि उसे प्रश्नगत आवण्टन के बाबत कोई आपत्ति थी तो वह आवण्टन सलाहकार समिति के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत करने हेतु स्वतंत्र था लेकिन प्रार्थी ने मौके पर कोई आपत्ति प्रस्तुत किया जाना सिद्ध नहीं है। जहां तक उद्घोषणा जारी नहीं करने का प्रश्न है तो यहाँ उल्लेख

वरिष्ठ जिला कलेक्टर  
दोंब

पूर्ण कोरम होने पर किया गया है। आवंटन प्रार्थना पत्र पर प्रतिपक्षी के हस्ताक्षर हैं और आवंटित भूमि का सुपुर्दगीनामा भी प्रतिपक्षी सं01 को दिया जा चुका है। आवंटी भूमिहीन काश्तकार नहीं है उसे भी प्रार्थी सिद्ध नहीं कर पाये है। जबकि पटवारी रिपोर्ट अनुसार अप्रार्थी भूमिहीन काश्तकार है। प्रार्थी द्वारा अपने कब्जे के संबंध में प्रस्तुत खसरा परिवर्तनशील सम्वत 2065 में प्रार्थी द्वारा काश्त किये जाने का अंकन अवश्य है किन्तु वह आवंटन के समय की न होकर आवंटन से पूर्व की पेश की गई है। आवंटन के समय व उसके बाद के कोई भी साक्ष्य सबूत आदि प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे उसका विवादित भूमि पर कब्जा काश्त सिद्ध हों। यदि प्रार्थी का विवादित भूमि पर कब्जा भी है तो वह एक अतिक्रमी की हैसियत ही रखता है तथा अतिक्रमित भूमि आवण्टन योग्य मानी गई है। उक्त आवण्टन में कोई त्रुटि दृष्टिगोचर प्रतीत नहीं होती है। ऐसी स्थिति में प्रतिपक्षी सं01 का आवण्टन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी सारहीन होने से खारिज किया जाना उचित है।

### आदेश

6. फलतः उपरोक्त विवेचनो के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज किया जाता है।
7. निर्णय आज दिनांक 26.05.2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

८

(लोकेश कुमार गौतम)  
अतिरिक्त जिला कलेक्टर  
टोंक-सैंज0

